फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

नेनाराम पुत्र श्री रामा तेली आयु 26 वर्ष निवासी– खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) —— प्रार्थी

बनाम

हंजा पत्नी स्व0 श्री रामा तेली आयु 53 वर्ष निवासी– खुमाणपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) एवं अन्य —— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 रा0काश्त0अ01955 प्रकरण संख्या 197 सन् 2025

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.04.2025	प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पेश हुआ। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एक तरफा बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने एक तरफा बहस के दौरान निवेदन किया कि सरहद खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे भाग–अ मे आराजी नम्बर 253 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 277 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 284 रकबा 0. 5817 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5174 हैक्टयर, भाग–ब मे आराजी नम्बर 254 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 282 रकबा 0.012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 283 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.1644 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.5943	

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हैक्टयर, भाग–स मे आराजी नम्बर 252 रकबा 0.0253 हैक्टयर भाग–द मे आराजी नम्बर 178 रकबा 0.5059 हैक्टयर, भाग–य मे आराजी नम्बर 251 रकबा 1.6693 हैक्टयर, भाग–र मे आराजी नम्बर 177/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, भाग–ल मे आराजी नम्बर 177 रकबा 2.0867 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 व अन्य खातेदारो की शामलाती है, जिसमे विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 जो कि प्रार्थी की माता व बहिने है, जिनके द्वारा उनका सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष मे दिनांक 27/01/2022 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड के हकत्याग किया गया, जिस पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 का कोई हक अधिकार नही रहा व विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 का मौके पर कब्जा नही है व प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का को भी रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर नामान्तरणकरण खोलने हेतु कहा, जिस पर पटवार हल्का द्वारा नामान्तरणकरण खुल जाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन विपक्षी संख्या 04 एवं 0 5 द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी व विपक्षी संख्या 01 से भूमि कय करने की बात कही, जिस पर जानकारी करने पर पता चला कि आराजी नम्बर 275, 282, 283, 284 को विपक्षी संख्या 04 एवं 05 ने अपने नाम पर विपक्षी संख्या 01 से रजिस्ट्री करा ली, जबकि विपक्षी संख्या 01 द्वारा हक त्याग करने से उसका कोई हक अधिकार नही रहा है। विपक्षीगण का गलत तौर पर कागजो मे नाम दर्ज होने से प्रार्थी को बेदखल करने व अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण करने पर आमादा है। प्रार्थी को बेदखल किये जाने व अन्य को रहन, विकय, हस्तातरण करने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रथम दृश्टया मामला है, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करावे कि विपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नही करे व किसी अन्य अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण नही करे व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़

।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की एक तरफा बहस पर मनन किया गया। भूमि मे विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 तीन द्वारा सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष मे रजिस्टर्ड रिलीज डीड के हक त्याग दिया है, विपक्षी संख्या 04 एवं 05 के पक्ष मे जो विक्रयपत्र पंजीयन कराया गया, जिस भूमि का हक त्याग कर दिया गया था, भूमि के अंतरण होने व प्रार्थी को बेदखल करने पर मौके पर वाद विवाद व मुकदमे बाजी बढ जायेगे। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपरिमित क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे है।

अतः आदेश दिया जाता है कि सरहद खुमाणपुरा पटवार हल्का गोरख्या भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे भाग–अ मे आराजी नम्बर 253 रकबा 0.2276 हैक्टयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.6323 हैक्टयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.0632 हैक्टयर, आराजी नम्बर 277 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 284 रकबा 0.5817 हैक्टयर कुल किता 05 रकबा 1.5174 हैक्टयर, भाग–ब मे आराजी नम्बर 254 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्बर 282 रकबा 0.012 हैक्टयर, आराजी नम्बर 283 रकबा 0.2023 हैक्टयर, आराजी नम्बर 42 रकबा 0.1644 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 0.5943 हैक्टयर, भाग–स मे आराजी नम्बर 252 रकबा 0.0253 हैक्टयर भाग–द मे आराजी नम्बर 178 रकबा 0.5059 हैक्टयर, भाग–य मे आराजी नम्बर 251 रकबा 1.6693 हैक्टयर, भाग–र मे आराजी नम्बर 177/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, भाग–ल मे आराजी नम्बर 177 रकबा 2.0867 हैक्टयर के लिए विपक्षीगण के विरूद्व आगामी पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विचपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराज़ीयात प्रार्थी को बेदखल नही करे व शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे उक्त आराजियात को विपक्षीगण अन्य को रहन, विकय, हस्तांतरण आदि नही करे व विपक्षी संख्या 07 किसी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

	प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करे व विपक्षी संख्या 06 राजस्व रेकार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे व विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। आदेश 39 नियम 03 की पालना हो। पत्रावली दिनांक 30.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी करेड़ सहायक कलक्टर करेड़ सहायक कलक्टर करेड़ा	

'8।

7/5/25 पत्रावली वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली शिगह से तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से उक्त प्रा०पत्र को इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तथ्य पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी स्वयं उक्त प्रा०पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रार्थी का प्रा०पत्र इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण में पूर्व में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30/04/2025 को स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० नम्बर से खारिज हो।

पैजालाल
07/05/25

उपखण्ड अधिकारी करेड़
सहायक कलक्टर करेड़